उपभोक्ता क्लब योजना:

केंद्र सरकार की योजना के अन्तर्गत राज्य के सरकारी एवं अंगीभूत विधालयों में उपभोक्ता क्लबों का गठन किया जा रहा है। प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य के 500 विधालयों में उपभोक्ता क्लबों के माध्यम से उपभोक्ताओं के बीच उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार हेतु नोडल एजेंसी के रूप में अनुग्रह नारायण सिंह समाज संस्थान को चयनित किया गया है।

उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु स्वयंसेवी संस्थानों की विकसित करने हेतु भारत सरकार के निदेश के अलोक में राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन किया जा चुका है। इस कोष में 10 करोड़ रु. की राशी एक ब्याज प्रदायी बैंक खाते में जमा रहेगी। जमा राशि पर उद्बुद्ध ब्याज से प्रति वर्ष राज्य की स्वयंसेवी संस्थानों को उपभोक्ता जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार के लिए राशि इस कोष के माध्यम से सुलभ हो सकेगी। इस हेतु राज्यांश मद की 2.5 करोड़ की राशी ब्याज प्रदायी खता में जमा हो चुकी है। केन्द्रांश मद की राशी 7.5 करोड़ रूपये के विरुद्ध 2.63 करोड़ विमुक्त किया गया है।